झूठ पकड़ने वाली (लाई डिटेक्टर) मशीनों का प्रयोग

2959. **डा० बापू कालदाते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों में अपराधियों से पूछताछ करने के लिए झूठ पकड़ने वाली (लाई डिटेक्टर) मशीनों का प्रयोग किया जाता है जो कि इस प्रयोजन के लिए कारगर सिद्ध हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यहां की पुलिस को भी ऐसी मशीनों को उपलब्ध कराने का कोई निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या देश में किसी भी मामले में इन मशीनों का प्रयोग किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः पूछताछ के दौरान संदेहास्पद लोगों से पूछताछ में प्रयोग के लिए उपयुक्त तकनीकों का पता लगाना और लाई डिटेक्टर मशीनों जैसे उपयुक्त उपकरणों को प्राप्त करना , मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ।

Escape by Criminals from jails

2960. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of criminals who had escaped from different jails in the country during the last three years and till date, State/Union Territory-wise and year-wise;

(b) whether Government had issued any guidelines to the States/Union Territories in this regard; and

(c) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) 'Prisons' being a State Subject the primary responsibility for prison administration lies with the State Governments. Government of India do not maintain and monitor statistics of criminals escaping from the jails.

(b) and (c) No guidelines have been issued by the Government of India to the States/Union Territories on the subject of criminals escaping from jails. However, recommendations made by various Committees appointed by the Government of India from time to time on different aspects of prison administration including security have been forwarded to the State/UT Governments for implementation.

सीलमपुर, दिल्ली में दंगे

2961. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मं अफजल :** क्या गृह मंत्री 22 जुलाई, 19 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं 1353 के लिये गये उत्तर को देखेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सीलमपुर में सा दायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों निकट संबंधियों को कितनी राहत दी अथ देने की घोषणा की ;

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उ "ना" है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार जन सम्पत्ति नुकसान के लिए कोई मुआवजा देने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० जैकब) : (क) से (ख) सीलमपु